भारत में शिक्षा का विकास

डॉ० संदीप कुमार पाण्डेय
डॉ० श्रवण कुमार, डॉ० मीनू पाण्डेय

भारत में शिक्षा का विकास

संपादक
डॉ० संदीप कुमार पाण्डेय
सह-संपादक
डॉ० श्रवण कुमार, डॉ० मीनू पाण्डेय

समता प्रकाशन
कानपुर (देहात)-209303

अस्वीकरण

समता प्रकाशन, कानपुर द्वारा प्रकाशित लेखों/शोध पत्रों में व्यक्त विचार योगदानकर्ताओं के अपने हैं। वे आवश्यक रूप से संपादक/प्रकाशक के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। संपादक/प्रकाशक इन लेखों/शोध पत्रों की सामग्री/पाठ से उत्पन्न किसी भी दायित्व के लिए किसी भी तरह से जिम्मेंदार नहीं हैं।

ISBN : 978-93-93403-85-8

प्रथम संस्करण, 19 जुलाई 2025

पुस्तक	:	भारत में शिक्षा का विकास
संपादक	:	डॉ० संदीप कुमार पाण्डेय
सह-संपादक	:	डॉ० श्रवण कुमार, डॉ० मीनू पाण्डेय
प्रकाशक	:	समता प्रकाशन
		बजरंगनगर, रूरा- कानपुर (देहात) 209303
		Mob. : 9450139012, 9936565601
ई-मेल	:	samataprakashanrura@gmail.com
कॉपीराइट ©	:	डॉ. संदीप कुमार पाण्डेय
मूल्य	:	650/-
शब्द-सज्जा	:	रुद्र ग्राफिक्स, हनुमन्त विहार, नौबस्ता, कानपुर-21
आवरण	:	गौरव शुक्ल, कानपुर
मुद्रक	:	सार्थक प्रेस, कानपुर

अनुक्रम

१. प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था
अनिल [illegible] 11

२. वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था
[illegible] 20

३. वैदिक व लौकिक ज्ञान का समन्वय
डॉ० [illegible] कुमार जैन 30

४. भारतीय दर्शन में [illegible] की अवधारणा व वर्तमान में प्रासंगिकता
डॉ० [illegible] जैन 45

५. भाषा, संस्कृति और [illegible] का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव
डॉ० [illegible] जैन 53

६. भारतीय ज्ञान परम्परा में आध्यात्मिक अनुसंधान
डॉ० [illegible] कुमार 62

७. बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था
डॉ० [illegible] बौद्ध, [illegible] बौद्ध 75

८. प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख केन्द्र
डॉ० [illegible] कुमार 84

९. वैदिक कालीन स्त्री शिक्षा
डॉ० [illegible] 91

१०. लार्ड मैकाले का [illegible] 1835
[illegible] 97

११. वुड का घोषणा पत्र
डॉ० [illegible] सिंह 106

१२. स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा
डॉ० [illegible], [illegible] कुमार 113

१३. माध्यमिक शिक्षा आयोग–1952-53
डॉ० [illegible] 125

१४. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
मृत्युंजय कुमार, डॉ० बी० एस० गुप्ता 139
१५. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
डॉ० श्वेता बागड़े 148
१६. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1986
डॉ० चंकी राज वर्मा 158
१७. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020
डॉ० नवीन कुमार चौबे 167
१८. निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009
मयंक ठाकुर, आशा साहू 180
१९. भारतीय ज्ञान आयोग
डॉ० प्रियंका 187

१३

माध्यमिक शिक्षा आयोग–1952

डॉ० भुपेन्द्र कौर
सहायक प्राध्यापक–शिक्षाशास्त्र विभाग
स्कूल ऑफ एजूकेशन एण्ड ह्यूमैनिटीज
आईएफटीएम विश्वविद्यालय, मुरादाबाद (उ०प्र०)

माध्यमिक शिक्षा के विकास और उन्नति के क्षेत्र में अन्य समितियों और आयोगों की अपेक्षा माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53), जिसे मुदालियर आयोग के नाम से प्रसिद्धि मिली, अधिक महत्वपूर्ण है। इसके महत्व का कारण यह है कि इसकी स्थापना उस समय हुई, जब भारत की आकाक्षाएँ थीं। इस आयोग का दुष्टिकोण और उददेश्य उन आयोगों से भिन्न था, जो पूर्व में गठित किये गये और समय–समय पर अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत कर चुके थे। मुदालियर आयोग के गठन का यह भी उददेश्य था कि माध्यमिक स्तर को शिक्षा उस प्रकार ढाला जाये कि वह देश की भावी योजनाओं को सफल बनाने में सहायक हो। इन्हीं उददेश्यों से प्रेरित होकर भारत सरकार ने 23 सितम्बर,1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषण की।

आयोग के अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ0 ए. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर बनाए गए। आयोग के अन्य प्रमुख सदस्यों में श्री ए.एन. बसु (मंत्री), प्रधानाचार्य श्री जॉन क्रिस्टल और डॉ. के. एल. श्रीमाली इत्यादि शिक्षाशास्त्री थे।

मुदालियर आयोग ने प्रचलित माध्यमिक शिक्षा के अध्ययन के लिए सम्पूर्ण देश का दौरा किया। राज्य सरकारों ने भी आयोग के साथ पूर्ण सहयोग किया। राज्य सरकार ने आयोग की सहायतार्थ अपने–अपने प्रदेशों में "शिक्षा विशेषज्ञ आयोग" नियुक्त किए, जिन्हें आदेश दिए गए कि वे हर प्रकार का सहयोग मुदालियर आयोग को दें। आयोग ने सम्पूर्ण भारत में प्रचलित माध्यमिक शिक्षा का गंभीर अध्ययन किया समस्याओं को समझा, दोषों को पकडा और काफी विचार विनिमय के उपरान्त अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय शासन को 29 अगस्त, 1953 को प्रस्तुत की। आयोग की रिपोर्ट 240 पृष्ठों की है जिसमें 15 अध्याय हैं।

आयोग की नियुक्ति तथा सदस्य–माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन सरकार के प्रस्ताव संख्या F.9.5/52 BI दिनांक 23 सितम्बर, सन् 1952 के अनुसार हुआ। आयोग में निम्न सदस्य थे–

1. डॉ0 ए0 लक्ष्मण स्वामी मुदालियर–चेयरमैन
2. जॉन क्राइस्ट–सदस्य
3. डॉ0 कैनिथ रास्ट विलियम्स–सदस्य
4. श्रीमती हंसा मेहता–सदस्य
5. श्री जे0ए0 तारापोरवाला–सदस्य
6. डॉ0 के0 एल0 श्रीमाली–सदस्य
7. श्री एम0टी. व्यास–सदस्य
8. श्री0 के0जी0 सैयदेन–सदस्य
9. श्री ए0एन0 बसु–सदस्य
10. डॉ0 एम0एस0 चारी–सचिव

आयोग का कार्य

आयोग के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित विषय मुख्य रहे–

1. **वित्तीय सहायता**–आयोग ने सुझाव दिया कि अनुदान के रूप में विश्वविद्यालयों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दी जाये।
2. **प्रशासन**–केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें केवल सहायता करें पर उनके कार्य संचालन में हस्तक्षेप न करें। आयोग ने विश्वविद्यालय के लिए विजिटर, कुलपति और उप–कुलपति सहित दस अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया है।
3. **परीक्षा**–आयोग, परीक्षा प्रणाली के सुधार के पक्ष में हैं।
4. **ग्रामीण विश्वविद्यालय**–यह अनुभव करते हुए कि भारत की अधिकांश जनता ग्रामों में रहती हैं और उनकी रूचि तथा आवश्यकताएँ शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भिन्न हैं। आयोग ने देश में ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया है। जिनके चारों ओर कृषि के आवासिक पूर्व स्नातक विद्यालय हों।

माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन–मुदासलियर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा एवं विश्वविद्यालय की शिक्षा अलगाव की स्थिति को समाप्त करने के लिए माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन इस प्रकार संस्तुत किया था–

(क) अवधि–माध्यमिक शिक्षा की अवधि 11 से 7 वर्ष तक की आयु की है। माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा पद्धति में विरोध नहीं हो। इस अवधि में (क) मिडिल, जुनियर, सेकण्डरी या सीनियर बेसिक स्तर की तीन वर्षीय शिक्षा (ख) उच्चतर माध्यमिक स्तर का चार वर्ष का पाठ्यक्रम सम्मिलित है।

(ख) तीन वर्षीय डिग्री कोर्स–आयोग ने इण्टरमीडिएट स्तर को समाप्त का 11 वर्ष की हॉयर सेकेण्डरी तथा तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम की व्यवस्था की है।

(क) माध्यमिक शिक्षा का गहन अध्ययन कर सुधार– सम्बन्धी सुझावों को प्रस्तुत करना।

(ख) माध्यमिक शिक्षा के सम्पूर्ण भारत में पुनर्गठन कर एकरूपता लाना तथा शिक्षा के दोषों को पहचानना तथा उनका निराकरण करना।

(ग) माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित पक्षों पर सुझाव देना–उददेश्य, अध्यापन व्यवस्था, संगठन, प्रारम्भिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के साथ माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध, माध्यमिक स्कूलों के एक–दूसरे के साथ क्या सम्बन्ध हो तथा पूरे भारत में उपयोगी और समान माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था।

माध्यमिक शिक्षा में प्रचलित अवगुण

आयोग ने देश में प्रचलित माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अनेक दोष पाये जो इस प्रकार थे–

1. दोषपूर्ण और अवास्तविक परीक्षा–प्रणाली का प्रचलित होना जिसके कारण योग्यता का मूल्यांकन न होना।
2. पाठ्यक्रम और शिक्षण–पद्धति ऐसा होना जिसके कारण छात्रों में मानवोचित गुणों के विकास की कमी। मानवोचित गुणों से तात्पर्य सहयोग, आत्म–सम्मान, आत्म–निर्भरता, विनय, बडों की आज्ञा पालन आदि से है।
3. पाठ्यक्रम में बालकों की रूचि का ध्यान न रखना और ऐसे विषय सम्मिलित करना जिनमें बालकों की रूचि न हो। इस प्रकार शिक्षा का प्रसार सर्वागीण न होकर एक पक्षीय होना।
4. छात्र अध्यापक सम्पर्क की कमी।
5. केवल पुस्तकीय ज्ञान पर आाधारित शिक्षा जीवन की वास्तविकता की अज्ञानता। जीविकोपार्जन की योग्यता का अभाव।
6. अध्यापन–व्यवसाय का अनाकर्षक होना जिसके फलस्वरूप योग्य व्यक्तियों के लिए शिक्षा में आकर्षण का अभाव और शिक्षा के स्तर में गिरावट।
7. अवैज्ञानिक छात्र अध्यापक अनुपात जिसके कारण कक्ष में अध्यापक का अध्यापन प्रभावहीन हो जाता है।
8. अवैज्ञानिक होने के कारण माध्यमिक शिक्षा में छात्र के सर्वागीण विकास की क्षमता का अभाव।

आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य

आयोग ने माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पुनर्गठन का सुझाव देकर उसके उद्देश्य निर्धारित किए हैं। जो निम्नलिखित हैं–

1. आदर्श नागरिकता के उद्देश्य–शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करते समय आयोग ने यह अनुभव किया कि राष्ट्रीय और सामाजिक भावना के अभाव में न कोई स्वतन्त्र राष्ट्र अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाए रख सकता है और न वह प्रगति कर सकता है। अतः माध्यमिक शिक्षा कस उद्देश्य ऐसे आदर्श नागरिकों को उत्पकरना है, जिनमें प्रबल राष्ट्रीय एवं सामाजिक भावना हो, जो राष्ट्र और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों को पूरा का सकें, जो आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना से राष्ट्र में उत्थान में अपनी शक्ति अर्पित करें और जो राष्ट्रीय हित के लिए बड़े से बड़े त्याग कर सकें। राष्ट्रीय भावना की विस्तार से चर्चा करते हुए आयोग ने इसे तीन भागों में बाटाँ है–

(क) राष्ट्रीय भावना के आशय को स्पष्ट करते हुए कहा है कि छात्रों को अपने देश की संस्कृति और सामाजिक गरिमा, गौरव और महत्ता में पूर्ण आस्था होनी चाहिए। छात्रों को इन पर गौरव का अनुभव करना चाहिए।

(ख) छात्र स्वंय अपने गुण और दोषों का विवेचन करें और दोषों को त्याग कर अपने चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण की और अग्रसर हों ताकि आत्म–समीक्षक हो सकें।

(ग) राष्ट्रीय भावना से आयोग का तीसरा आशय राष्ट्रहित में सर्वोच्च त्याग की भावना से है।

2. चरित्र निर्माण के उद्देश्य–माध्यमिक स्तर की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों का चरित्र–निर्माण है, जोकि न केवल छात्रों के हितकर है, वरन् राष्ट्र हित के लिए भी आवश्यक हैं वास्तव में राष्ट्र का चरित्र उसके छात्रों के चरित्र का प्रतिबिम्ब मात्र ही है और वही राष्ट्रीय स्वास्थ्य और एक श्रेष्ठ शिक्षण प्रणाली का विकास करता है। समिति इस प्रकार विकसित की गई प्रणाली का प्रदर्शन विद्यालयों में करे जिससे अध्यापकगण लाभान्वित हों और अपने शिक्षा प्रदान करने के ढंग में वांछित सुधार करें।

3. धनोपार्जन की क्षमता–आयोग के मतानुसार माध्यमिक स्तर की शिक्षा में इतनी क्षमता होनी चाहिये कि छात्र शिक्षा समाप्त कर अपने जीवनयापन के लिए किसी व्यवसाय की सहायता से अथवा अपनी किसी अन्य योग्यता से धनोपार्जन कर सकें। इस क्षमता को उत्पन्न करने के लिये पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों का सम्मिलित होना आवश्यक है।

4. मानवोचित गुणों का आविर्भाव– मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः उसे समाज में हिल–मिलकर रहना चाहिये। इसके लिए उसमें सहयोग, विनय, अनुशासन, प्रेम, करूणा, भाई–चारा आदि के गुणों का विकास होना आवश्यक है।

आयोग द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियाँ

पाठयक्रमों की विभिन्नतायें– आयोग ने विभिन्न पाठ्यक्रमों का समावेश किया है, जिससे हर विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार विषयों का चुनाव कर सके। ये पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर के पहले वर्ष से ही आरम्भ हो जाते हैं।

आन्तरिक मूल्यांकन– आयोग ने स्कूल के लेखों को मूल्यांकन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इससे छात्रों का सही मूल्यांकन होगा और विद्यालयों में अनुशासन सुधरेगा।

तकनीकी शिक्षा– यद्यपि मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए बहुमूल्य सुझाव दिये हैं–

1. अप्रैंटिस प्रक्रिया के नियम बनाये जायें।
2. बडे नगरों में सेन्ट्रल टेक्निकल स्कूलों को स्थापना होनी चाहिए जिससे स्थानीय स्कूलों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।
3. टेक्निकल स्कूल बहुत अधिक संख्या में बहुउद्देशीय स्कूल या उसके अंग के रूप में चलाये जाने चाहिए।
4. इन्डस्ट्रियल एजूकेशन कर लगाना चाहिए।
5. टेक्निकल तथा टेक्नालॉजीकल विद्यालयों की स्थापना शिक्षाशास्त्रियों की सलाह से होनी चाहिए।

अन्य विद्यालयों की स्थापना के पीछे उद्देश्य यह था कि विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा दी जाये। इस प्रकार के विद्यालयों के अन्तर्गत ये विद्यालय खोलने की सिफारिश की गई (क) पब्लिक स्कूल जारी रहने चाहिए (ख) रेजीडेन्शियल स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए (ग) बालकों की शिक्षा के लिए अधिक संख्या में विद्यालय होने चाहिए।

सहशिक्षा–मुदालियर कमीशन ने नारी तथा सहशिक्षा के विषय में कहा–'लडके–लडकियों' की शिक्षा में कोई अन्तर नहीं है; फिर भी लडकियों के लिए गृह विज्ञान के शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मुख्य सिफारिशें इस प्रकार प्रकार हैं–(क) लडके–लडकियों' की शिक्षा में कोई अन्तर न होते हुए भी गृह विज्ञान के शिक्षण को सहशिक्षा वाले विद्यालयों में प्रमुखता दी जानी चाहिए (ख) जहाँ पर आवश्यकता है, वहाँ पर लडकियों के लिए अलग स्कूल खोले जाएँ (ग) मिश्रित अथवा सहशिक्षा वाले विद्यालयों में निश्चित शर्तें लगाई जाएँ, जिनसे लडकियों तथा अध्यापिका वर्ग की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।

भाषाओं का अध्ययन–मुदालियर कमीशन ने भाषाओं के पाँच वर्ग निर्धारित किये–

(क) मातृभाषा (ख) क्षेत्रीय भाषा (ग) संघ की सरकारी भाषा के रूप जानी जाये (घ) शास्त्रीय भाषा (ड) अंग्रेजी। इसलिए अध्ययन के सम्बन्ध में सिफारिशें ये हैं–(क) माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। इसमें भाषायी अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधायें दी जानी चाहिए (ख) मिडिल स्तर पर हर बालक को दो भाषायें अवश्य आनी चाहिए (ग) हाई स्कूल या हायर सेकेण्डरी स्तर पर पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेश होना आवश्यक है, जिससे छात्रों में इन गुणों का विकास हो। ऐसे विषयों में विज्ञान, साहित्य, कला, नृत्य, संगीत आदि का नाम लिया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा का यह तीसरा उद्देश्य आयोग में प्रस्तुत किया है। आयोग ने दो स्तरों पर पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये है–

मिडिल स्तर पर–1. भाषाएँ 2. सामाजिक अध्ययन 3. सामान्य विज्ञान 4. गणित 5. कला तथा संगीत 6. उद्योग 7. शारीरिक शिक्षा।

हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्तर पर– मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा और शास्त्रीय भाषा का पूर्ण पाठ्यक्रम।

(क) निम्नलिखित में से एक अन्य भाषा–

1. हिन्दी (अहिन्दी भाषियों के लिए)
2. आरम्भिक अंग्रेजी (जिन्होंने मिडिल में अंग्रेजी नहीं पढी)
3. उच्च अंग्रेजी (जिन्होंने पहले अंग्रेजी पढी)
4. आधुनिक भारतीय भाषा (हिन्दी के अतिरिक्त)
5. आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी के अतिरिक्त)
6. शास्त्रीय भाषा

(ख) 1.सामाजिक अध्ययन पहले दो साल
2.सामान्य ज्ञान के लिए

(ग) निम्नलिखित में से एक उद्योग

कताई–बुनाई, काष्ठकला, धातु का काम, बागवानी, सिलाई, टाईपिंग, कार्यशाला, सिलाई (कढाई, कशीदाकारी) मॉडलिंग।

पाठ्य पुस्तकें–आयोग ने पाठ्य पुस्तकों में सुधार के लिए अपने सुझाव इस प्रकार दिए हैं–

1. हाईपावर टैक्स्ट बुक कमेटी का गठन हो, जिसमें हाई कोर्ट का एक जज, सेवा आयोग का सदस्य, कुलपति, हैडमास्टर, दो शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षा सेचालक हों और यह स्वतन्त्र रूप से कार्य करें।
2. प्रकाशनों की बिक्री से एक कोष का निर्माण किया जाये, जिससे छात्रवृत्तियाँ,

पुस्तकीय सहायता आदि दी जाये।

3. केन्द्र सरकार द्वारा पुस्तकों की तकनीकी के लिए आर्ट स्कूल खोले जायें।
4. भाषाओं क अध्ययन के लिए निश्चित पाठय–पुस्तकें लगानी चाहियें।
5. केन्द्र तथा राज्य सरकारों को ब्लाक्स का संग्रह रखना चाहिए, जिससे वह प्रकाशकों को उद्योग दे सकें।

माध्यमिक शिक्षा पद्धति–मुदालियर आयोग ने प्रचलित शिक्षा–प्रणाली में अनेक दोष पाये और उनके निराकरणार्थ अपने सुझाव दिये। इसके अनुसार–

1. छात्रों की शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार हो कि वे क्रियात्मक और भावात्मक दोनों ही प्रकार के ज्ञान को व्यवस्थित ढंग से प्राप्त कर सकें।
2. प्रत्येक माध्यमिक स्तर के विद्यालय में पाठ्य–पुस्तकों के अतिरिक्त ऐसी पुस्तकें भी छात्रों को उपलब्ध होनी चाहियें, जिनसे उनका सामान्य ज्ञान विकसित हो।
3. एक ही विषय को बार–बार पढ़ाने से अध्यापन कार्य में रूचि कम होने की संभावना रहती है। अतः उसका रूचि बनाये रखने के लिये उन्हें भी नवीन साहित्य और पुस्तकें उपलब्ध होती रहनी चाहिये।

नेतृत्व का गुण–नेतृत्व की भावना का विकास माध्यमिक शिक्षा का चौथा उद्देश्य है। स्वतन्त्र देश में छात्रों में इस गुण का विकास देश की रक्षा और विकास के लिए आवश्यक है।

माध्यमिक स्तर की शिक्षा का काल–भारत की भैगोलिक पृष्ठभूमि को देखते हुए आयोग इस निर्णय पर पहुँचा है कि इस स्तर की शिक्षा की अवधि छात्र की 11 वर्ष की आयु से 17 वर्ष की आयु तक होनी चाहिए। आयोग ने इस 7 वर्ष की अवधि को दो भागों में विभक्त किया है, जो निम्नानुसार हैं–

1. निम्न माध्यमिक स्तर की शिक्षा की अवधि तीन वर्ष और
2. उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की अवधि चार वर्ष की हो।

शिक्षा का माध्यम–मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा को माध्यमिक शिक्षा का माध्यम बनाया जाये। इस सम्बन्ध में आयोग के अन्य विचार इस प्रकार हैं–

1. छात्र को कम से कम दो भाषाओं का ज्ञान निम्न माध्यमिक परीक्षा तक कराया जाये।
2. आयोग ने तीन भाषा सीखने का सुझाव सर्वसम्मति से दिया। ये तीन भाषाएँ–राष्ट्र भाषा, मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा तथा एक विदेशी भाषा थी। भाषा–सम्बन्धी अन्य बातों के प्रश्न पर आयोग के सदस्य एकमत न थे।

आयोग का सुझाव था कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया जाये और वह रूप दिया जाये, जिससे शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो।

निम्न माध्यमिक शिक्षा के विषय–इस स्तर की कक्षाओं के लिए आयोग ने गणित, सामान्य विज्ञान, भाषायें, सामाजिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला–शिल्प और संगीत आदि सात विषयों का चयन किया।

माध्यमिक शिक्षा बहुउद्देशीय विषय–इस पाठ्यक्रम, जिसमें विषयों के सात समूह थे, के सम्बन्ध में आयोग ने सुझाव दिया कि निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जायें–

(क) भाषा, साहित्य और सामाजिक विज्ञान (ख) विज्ञान (ग) औद्योगिक विषय (घ) वाणिज्य विषय (ड) ललित कलायें (च) कृषि (छ) गृह विज्ञान

पाठ्य–पुस्तकों का चुनाव–शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य–पुस्तकों का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका स्पष्ट प्रभाव छात्रों की शिक्षा पर पड़ता है। पुस्तकों की योग्यता और उपयोगिता के आधार पर चयन हो और अन्य दूषित प्रभाव चयनकर्त्ताओं पर न पडे, इसको ध्यान में रखकर आयोग ने एक "उच्च अधिकारी प्राप्त समिति" के गठन का सुझाव दिया। यह समिति समस्त प्रकार के शैक्षिक स्तरों के छात्रों के लिये पुस्तकों का चुनाव करेगी। समिति पुस्तकों की साज–सज्जा, मुद्रण, पुस्तक में प्रयोग किये गये कागज तथा चित्रों आदि का भी ध्यान पुस्तक चयन में रखेगी। इस समिति के सदस्यों के लिए आयोग ने निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की हैं–

1. हाईकोर्ट का न्यायाधीश
2. लोक सेवा आयोग का उप–कुलपति
3. विश्वविद्यालय का उप–कुलपति
4. सरकारी शिक्षण संस्थान का प्रिंसिपल
5. दो उच्च कोटि के शिक्षाशास्त्री तथा राज्य का शिक्षा निदेशक।

स्वास्थ्य शिक्षा–छात्रों के स्वास्थ्य निरीक्षण की व्यवस्था माध्यमिक स्कूलों में वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए। स्वस्थ्य रहने के लिए आवश्यक क्रियाओं का ज्ञान भी छात्रों को कराया जाना चाहिए।

परीक्षा– आयोग के मतानुसार विद्यार्थी की परिक्षा का आधार उसके द्वारा वर्ष भर के लिए किये गये कार्य के आधार पर होना चाहिए, न कि अन्तिम परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर।

मूल्यांकन–परीक्षा एवं मूल्यांकन ही शिक्षा का आधार है, तो यह अत्युक्ति न होगा। अध्यापकों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि व छात्रों द्वारा की गई प्रगति का पता लगायें।

प्रशिक्षण कौशल का विकास—मुदालियर कमीशन अध्यापकों के विकास के प्रति सचेत रहा है। सर्वेक्षण के मध्य उसने यह अनुभव किया कि—हम इससे सहमत हो गये हैं, यदि अध्यापक की वर्तमान असन्तुष्ट दशा एवं हताशा को दूर किया जाये और शिक्षा का वास्तविक निर्माण हो जाये, तो इसके लिए आवश्यक है कि उनके स्तर तथा सेवा की दशा में सुधार किया जाये।

शिक्षण की गतिशील पद्धतियाँ—आयोग का ध्यान शिक्षण पद्धति की ओर भी रहा है। इस सन्दर्भ में आयोग की संस्तुतियाँ निम्न प्रकार हैं—

1. सभी प्रकार के शिक्षण में स्पष्ट विचार तथा अभिव्यक्ति पर बल देना चाहिए।
2. एक्टीविट तथा प्रोजेक्ट विधियाँ अपनाई जाएँ। अभिव्यक्ति प्रकट करने वाला कार्य किया जाये।
3. शिक्षा विधि केवल ज्ञान देने वाली ही नहीं अपितु मूल्यों मनोवृत्ति, आदत के निर्माण करने वाली होनी चाहिए।
4. प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियों को प्रायोगिक एवं प्रदर्शनात्मक विद्यालयों में लागू किया जाना चाहिए।
5. समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए।

अनुशासन—मुदालियर कमीशन ने अनुशासन की समस्या पर विचार करते हुए कहा है—"शिक्षा में विकास तथा पुनर्निर्माण उस समय तक लाभकारी नहीं है, जब तक विद्यालयों में अनुशासनहीनता है।"

1. विद्यालय में चरित्र निर्माण की शिक्षा के कार्यक्रम में न होना।
2. अनुशासन के विकास के लिए विद्यालय सरकार बनानी चाहिए।
3. सामुहिक खेलों को प्रोत्साहन मिले।
4. ऐसा अधिनियम पारित किया जाये जिससे विद्यार्थियों का उपयोग चुनावों के समय न किया जा सके।

धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा—धार्मिक व नैतिक शिक्षा ऐच्छिक आधार पर ही विद्यालयों में दी जाये। यह शिक्षा केवल उसी धर्म पर आस्था रखने वालो के लिए होगी। कमीशन के शब्दों में—"कक्षा शिक्षण के आधार पर धार्मिक या नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। यह विद्यालय के प्रभाव एवं अध्यापकों के व्यवहार पर निर्भर होनी चाहिए। अतः ऐच्छिक आधार पर ही धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए"

सहगामी क्रियायें—पाठ्योत्तर क्रियाओं का बालक के व्यक्तित्व के विकास में अत्यन्त महत्व है इसलिए उसे क्रियाएँ भी अनिवार्य होनी चाहिए—

1. सहगामी क्रियाओं को शिक्षण का अभिन्न अंग माना जाये।
2. बालचर आन्दोलन को राज्य सहायता दें।

3. केन्द्र सरकार एन0सी0सी0 का प्रसार करे।
4. प्राथमिक चिकित्या, रेडक्रास आदि को सभी विद्यालयों में प्रोत्साहन दिया जाये।

मार्ग–प्रदर्शन एवं परामर्श–मुदालियर कमीशन ने मार्ग–प्रदर्शन कार्यक्रम की आवश्यता पर विचार किया। इसलिए व्यावसायिक तथा बौद्धिक पाठ्यक्रमों का समावेश शिक्षा योजना में किया गया है। अतः इन पहलुओं पर विचार इस प्रकार है

शिक्षा–सत्र की अवधि तथा अवकाश

आयोग ने शिक्षा–सत्र के लिए कार्य और अवकाश के दिनों की संख्या निर्धारण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये हैं–

1. ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में फसल काटने और बोने के समय सात दिन का अवकाश स्कूल में होना चाहिए, ताकि छात्र अपने माता–पिता की सहायता कर सकें।
2. विद्यालय प्रत्येक शिक्षा–सत्र में कम से कम 200 दिन लगे।
3. छात्रों को सत्र काल में दो बार 10 से 15 दिन का अवकाश मिलना चाहिए। ग्रीष्म अवकाश की अवधि दो महीने निर्धारित की जाती चाहिए।
4. छुट्टियों की संख्या कम की जाये।
5. स्थानीय अवकाशों और कक्षाओं के समय का निर्धारण का अधिकार प्रधानाचार्यों को होना चाहिए।
6. कम से कम 35 घण्टे प्रति सप्ताह अध्यापन कार्य होना चाहिए।

सन्दर्भ

1. कान्त कृष्ण लाल बिहारी रमन (2012) : भारत में माध्यमिक शिक्षा, आर0 लाल0 बुक डिपो, मेरठ।
2. भटनागर सुरेश, कुमार मुनेन्द्र (2017) : समकालीन भारत और शिक्षा, आर0 लाल0 बुक डिपो, मेरठ।
3. वर्मा, एस. जी. (2011) :भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
4. Kumar Nikhil (2020.21) : Secondary Education, Green Leaf Publication, Varansi.

डॉ० संदीप कुमार पाण्डेय

शैक्षिक योग्यता : एम०ए० (प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र), पीएच०डी०

प्रकाशित पुस्तकें : 1. जैन पुराणों में समाज 2. भारतीय सामाजिक व्यवस्था 3. प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था 4. भारतीय शिक्षा का इतिहास 5. सामाजिक वैचारिकी 6. राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान 7. व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण 8. मूल्य आधारित शिक्षा व आधुनिक तकनीकी 9. संस्कृति संचय 10. भारतीय ज्ञान परंपरा व संस्कृति संधान 11. भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध संदर्भ 12. उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा का महत्व 13. शिक्षा एवं विरासत 14. भारतीय सामाजिक व्यवस्था 15. संस्कृति प्रवाह 16. समकालीन भारत एवं शिक्षा 17. भारतीय कला व संस्कृति 18. समकालीन भारतीय समस्याएं एवं समाधान 19. सामाजिक विकास 20. शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण 21. जनजातीय समाज व संस्कृति 22. समकालीन विकास के मुद्दे एवं चुनौतियाँ 23. समकालीन राजनीति मुद्दे 24. सामाजिक अभिव्यक्तियाँ 25. एकात्म मानववाद के प्रणेता : पं. दीनदयाल उपाध्याय 26. संस्कृति संकलन 27. विकसित भारत @ २०४७ : चुनौतियां व संभावनाएं 28. शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य व योग 29. भारतीय सांस्कृतिक अग्रदूत स्वामी विवेकानंद 30. अन्वेषणा 31. शोध प्रविधि-1 32. अभ्युदय 33. शोध प्रविधि-2 34. शोध प्रविधि-3 35. शिक्षा का परिचय 36. समाजशास्त्र परिचय 37. शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य व योग-2 38. प्रयागराज महाकुम्भ : आस्था व आध्यात्म का महापर्व 39. RESEARCH DRISHTI 40. भारतीय शिक्षा का इतिहास व विकास 41. भारतीय शिक्षा का विकास 42. भारतीय संस्कृति व पर्यावरण संरक्षण 43. ज्ञानवृत्ति 44. भारतीय शिक्षा के विविध आयाम 45. भारतीय समाज : संरचना एवं परिवर्तन 46. वरिमा 47. प्राचीन भारत का सामाजिक व आर्थिक इतिहास 48. समावेशी शिक्षा 49. समावेशी शिक्षा : दशा व दिशा 50. अनुसंधान 51. शोध विमर्श 52. इतिवृत्त 53. भारत में शिक्षा का विकास

अवॉर्ड : 1. उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय कला प्रतिभा सम्मान-2022
2. अवगत अवॉर्ड-2022, 3. शिक्षा भूषण सम्मान-2023
4. उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान-2024

संप्रति : [illegible]- एस०आई०आई० कॉलेज, उत्तराखण्ड
पूर्व सहायक कुलसचिव (शोध) भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर

मोबाइल : 8949193307

Also available at : flipkart

समता प्रकाशन
प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता
बजरंगनगर, रूरा, कानपुर (देहात)-209303
(उत्तर प्रदेश)
मो० 09450139012, 07007749872
E-mail : samataprakashanrura@gmail.com

ISBN 978-93-93403-85-8
9 789393 403858 >
₹650/-